झारखंड सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

संख्या 2460 **दिनांक 2 अगस्त, 2003**

प्रस्तावना :

भारत सरकार ने निर्यात उत्पादन के लिए अवसंरचना सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च, 2000 के दौरान विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की है। सार्वजनिक / निजी, संयुक्त क्षेत्र में या राज्य सरकारों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रशुल्क तथा व्यापार के प्रचालनों के लिए इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विदेशी क्षेत्र समझा जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना से आर्थिक एवं औद्योगिक विकास तथा रोजगार के नए अवसरों के सृजन की दृष्टि से राज्य में विशाल लाभांश प्राप्त होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र आर्थिक विकास के इंजन होंगे।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमा शुल्क में छूट तथा अन्य लेवी, विदेशी निवेश तथा अन्य लेनदेन के संबंध में अधिक उदार व्यवस्था के साथ औद्योगिक, सेवा तथा व्यापार प्रचालनों के प्रयोजनार्थ विदेशी क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से निर्धारित एंक्लेव के रूप में होंगे। व्यवसाय के प्रचालनों एवं लेनदेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परिवेश का सृजन करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में घरेलू प्रतिबंधों तथा आधारभूत सुविधाओं की कमियों को दूर किया जाएगा। भारत सरकार के दिशानिर्देश यह सुझाव देते हैं कि सार्वजनिक – निजी या संयुक्त क्षेत्र में या राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (क्षेत्रों) का विकास मुख्य रूप से निजी क्षेत्र निवेशक एवं विकासक के नेतृत्व में होगा। ये विकासक (इसके बाद यहां आगे एसईजेड कंपनी कहा गया है) निवेशकों के लिए एसईजेड की डिजाइन, आयोजना, वित्त पोषण, भवन, प्रचालन और विपणन में एसईजेड प्रबंधक के रूप में काम करेंगे। एसईजेड कंपनी विश्वस्तरीय यूटिलिटी, सामाजिक एवं नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी।

सरकार दूरसंचार की सुविधाओं, इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज (सड़क, रेल तथा हवाई संपर्क) सहित सामाजिक अवसंरचना एवं लिंकेज के सृजन में सहायता प्रदान करेगी।

झारखंड सरकार रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य के सामाजिक – आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करने के लिए एसईजेड संकल्पना का उपयोग करना चाहती है।

एसईजेड के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों की पृष्ठभूमि में राज्य ने राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना, प्रचालन एवं संपोषणीयता के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करने हेतु नियंत्रित एसईजेड नीति तैयार करने का निर्णय लिया है।

इस नीति के पास उपयुक्त मुद्दों पर मौजूदा राज्य नीतियों पर पराभवी शक्ति होगी। जो मुद्दे एवं क्षेत्र एसईजेड रूपरेखा में शामिल नहीं हैं उनके लिए प्रचलित राज्य रूपरेखा एवं कानून को प्रभावी समझा जाएगा।

नीति रूपरेखा

1. **उद्योग विभाग**

1.1. **उद्योग विभाग एसईजेड के लिए झारखंड सरकार का नोडल विभाग होगा।**

1.2. **एकल खिड़की क्लीयरेंस : विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेशकों के लिए अनुमोदनों एवं स्वीकृतियों हेतु एकल खिड़की क्लीयरेंस का प्रावधान होगा। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्लेटफार्म पर इलेक्ट्रानिक फार्मेट का प्रयोग करके समय से क्लीयरेंस करना है।**

1.2.1. **प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र एक विकास आयुक्त (डीसी) नामित करेगा जो विशिष्ट एसईजेड के लिए एसईजेड की यूनिटों द्वारा सभी निवेश के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एवं उनकी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाला नामित प्राधिकारी होगा।**

1.2.2. **विद्युत, जल, वाणिज्यिक कर विभाग (बिक्री कर, मनोरंजन कर), खाद्य एवं औषधि प्रशासन, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, उद्योग विकास आयुक्त / निदेशक, उद्योग, मुख्य कारखाना निरीक्षक, राज्य श्रम अधिकारी, रोजगार कार्यालय अधिकारी, जिला अग्निशमन अधिकारी, पुलिस विभाग (विदेशी पंजीकरण सेल) सहित झारखंड सरकार की सभी एजेंसियों के लिए एसईजेड में एकल खिड़की उपलब्ध होगी। झारखंड सरकार द्वारा समय-समय पर शामिल की जाने वाली मदों एवं एजेंसियों के लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। संभव होने पर राज्य सरकार एसईजेड के विकास आयुक्त को अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित करेगी। तथापि, अपेक्षित होने पर राज्य सरकार के उपर्युक्त विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारियों**

को विकास आयुक्त के विवेक पर आवश्यकता के आधार पर विकास आयुक्त की सहायता के लिए विकास आयुक्त के कार्यालय में नामित किया जाएगा।

1.3. व्यवसाय का सरल कार्य परिवेश : सभी प्रक्रियाओं के लिए पहले से निर्धारित दिशानिर्देश तथा प्रमाणन शुल्क के साथ अनुमोदन और मामलों के निस्तारण के लिए समयसीमा होगी।

1.3.1. पैनल में शामिल निजी क्षेत्र की निरीक्षण एजेंसियों का प्रयोग करने वाले सभी उद्योगों के लिए स्वयं प्रमाणन को संभव बनाया जाएगा।

1.3.2. संभव सीमा तक एसईजेड के विनियमन एवं अभिशासन की जिम्मेदारी विकास आयुक्त के पास होगी। विकास आयुक्त के परामर्श से अनुसूची के अनुसरण में भौतिक निरीक्षण किए जाएंगे।

1.3.3. लघु उद्योगों तथा आईटी उद्योगों के लिए पंजीकरण से छूट होगी।

1.3.4. एसईजेड कंपनी विकास आयुक्त के लिए आवश्यक अवसंरचना (भवन, कार्यालय स्थान और उपकरण) प्रदान करेगी तथा उपयुक्त बैंकिंग सुविधा के माध्यम से विकास आयुक्त के कार्यालय के कमर्चारियों को वेतन एवं परिलब्धियों के रूप में साम्यपूर्ण राशि का भुगतान करेगी।

1.4. विकास प्राधिकरण :

1.4.1. एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्रों के लिए औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त को उपयुक्त प्राधिकारी माना जाएगा।

1.4.2. विकास आयुक्त की भूमिका :

- विनियमन : भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न संविधियों एवं विनियमों के तहत क्लीयरेंस प्रदान करना।
- सुगमता : एसईजेड के अंदर प्रदान न की जाने वाली क्लीयरेंस में सुगमता प्रदान करना तथा ऐसे मुद्दों पर सरकार को सलाह देना जिनके लिए रूपरेखा, संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- प्रमोटर : प्राइवेट प्रमोटर के साथ एसईजेड का विपणन करना।

2. राजस्व विभाग

2.1. विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग के लिए आशयित भूमि के अंतरण पर स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट अनुमत होगी।

2.2. बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में एसईजेड में संपत्तियों के लिए एसईजेड की यूनिटों द्वारा निष्पादित ऋण करारों, क्रेडिट विलेखों, गिरवी तथा बंधक विलेखों के लिए स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क से पूर्ण छूट होगी।

2.3. **पूरे देश में एसईजेड को प्रदान की गई छूटों तथा राष्ट्रीय एकसमान फ्लोर रेट को समुचित रूप से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार राज्य के अंदर स्थापित किए जाने वाले एसईजेड को निम्नलिखित छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती है:**
एसईजेड के अंदर लेन-देन पर बिक्री कर, वैट, विलासिता कर एवं मनोरंजन कर सहित अन्य राज्य कर एवं राज्य शुल्क। राज्य के अंदर आपूर्तिकर्ताओं से एसईजेड यूनिटों को प्रदान किए गए इनपुट (माल एवं सेवा) पर बिक्री कर एवं अन्य राज्य कर।

3. ऊर्जा विभाग

3.1. **राज्य सरकार एसईजेड में विद्युत को विद्युत शुल्क एवं कर से छूट प्रदान करती है।**

3.2. **एसईजेड में कैप्टिव पावर की अनुमति होगी। सरकार इस बात का जायजा लेगी कि क्या एसईजेड की यूनिटों को संभव होने पर कैप्टिव पावर पर पारेषण प्रभारों तथा ग्रिड संरक्षण प्रभारों से छूट प्रदान की जाए।**

3.3. **झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) बिलों के पारेषण, वितरण तथा संग्रहण के संबंध में उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।**

4. जलापूर्ति

एसईजेड कंपनी एसईजेड के अंदर पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

5. श्रम विभाग

5.1. **राज्य सरकार श्रम आयुक्त की शक्ति विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित करती है।**

5.2. **राज्य सरकार विकास आयुक्त के अधीन श्रम विभाग के किसी अधिकारी को भी तैनात करेगी।**

5.3. **राज्य सरकार एसईजेड की यूनिटों द्वारा रिपोर्टों की सरलीकृत प्रस्तुतियों को अनुमोदित करती है तथा समेकित वार्षिक रिपोर्टिंग प्रणाली का सृजन करती है। स्वयं प्रमाणन भी अनुमोदित है।**

5.4. **एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों के तहत विकास आयुक्त के पास उपयुक्त अधिकारी निरीक्षक, सामंजस्य अधिकारी तथा पंजीकरण अधिकारी के रूप में नामित किए जाएंगे।**

5.5. **मजदूरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित निरीक्षण के लिए राज्य सरकार यूनिटों को विकास आयुक्त द्वारा अधिसूचित प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा निरीक्षण कराने की अनुमति प्रदान करती है।**

5.6. **श्रम विभाग विभिन्न श्रम संबद्ध अधिनियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करेगा।**

6. पर्यावरण विभाग तथा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

6.1. **विकास आयुक्त को एसईजेड की सभी यूनिटों के लिए क्लीयरेंस के संबंध में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित निरीक्षणों के संबंध में, ये एसईजेड के विकास आयुक्त के पास प्रतिनियुक्त प्रदूषण नियंत्रण स्टाफ द्वारा संचालित किए जाएंगे।**

6.2. **एसईजेड को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।**

6.3. **औद्योगिक अनुमोदन :**

6.3.1. **प्रदूषण न फैलाने वाली यूनिटें : अनुमोदन एसईजेड, ईआईए मास्टर प्लान पर आधारित होगा। विकास आयुक्त स्थापना एवं प्रचालन के लिए सहमति प्रदान करेगा।**

6.3.2. **प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटें : एसईजेड स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित विशेषज्ञों के साथ) प्रदूषण फैलाने वाली यूनिटों को शीघ्रता से अनुमोदन प्रदान करने में विकास आयुक्त की मदद करेगी। ऐसी यूनिटें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से संपर्क करेंगी तथा 45 दिन के अंदर ईआईए पर सहमति प्राप्त करेंगी।**

6.4. **उद्योगों के प्रचालन रूपरेखा :**

6.4.1. **निजी प्रमाणन एजेंसियों की सहायता से एसईजेड में सभी उद्योगों के लिए आवधिक स्वयं प्रमाणन की व्यवस्था होगी। पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए विकास आयुक्त द्वारा यूनिटों की यादृच्छिक नमूना निगरानी की जाएगी।**

6.4.2. **वनरोपण : एसईजेड स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति एसईजेड नगर आयोजना प्राधिकरण द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसरण में पूरक वनरोपण के आधार पर विशिष्ट इलाकों में विकास के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकती है।**

6.4.3. **कोई विकास क्षेत्र नहीं होगा : सरकार अनियोजित विकास से बचने के लिए संभव सीमा तक ग्रीन बेल्ट के रूप में एसईजेड की परिधि के चारों**

ओर 'कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र नहीं' स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

7. शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग

7.1. राज्य सरकार एसईजेड को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित करेगी जो मौजूदा पंचायतों को प्रतिस्थापित करेगा। ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को सभी शक्तियां प्रदान की जाएंगी तथा यह मौजूदा प्रावधानों में सभी कार्यों का निर्वहन करेगा। राज्य सरकार इस स्थानीय प्राधिकरण को नगरपालिका के रूप में भी घोषित कर सकती है।

7.2. विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित एसईजेड मास्टर प्लान के अनुसरण में एसईजेड भूमि अधिसूचित की जाएगी। नगर आयोजना तथा पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन आयोजना के मानदंडों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसरण में एसईजेड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। एसईजेड में भूमि प्रयोग को विनियमित करने के लिए नगर आयोजना प्राधिकरण (राज्य तथा एसईजेड कंपनी से नामितियों के साथ) स्थापित किया जाएगा।

8. गृह विभाग

राज्य सरकार एसईजेड के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा इसका प्रावधान करने के लिए अतिरिक्त राज्य पुलिस, अग्निशमन सेवाओं तथा होम गार्ड संरचना की आवश्यकता को प्रोसेस करेगी।

9. विधि विभाग

उच्च न्यायालय के अनुमोदनों के अनुसरण में एसईजेड में आवश्यकता के अनुसार विशेष न्यायालयों को क्षेत्राधिकार सौंपा जाएगा। ऐसे न्यायालयों के लिए निर्धारित न्यायालय शुल्क तथा उपयुक्त सेवा शुल्क अधिसूचित किए जा सकते हैं।

10. शिक्षा रूपरेखा

राज्य सरकार निजी सेक्टर सहित उपयुक्त फार्मेट के माध्यम से शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास करने एवं बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। एसईजेड के लिए शिक्षा नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताओं एवं गतिकी के अंतरण में सक्रियता से अत्यधिक कुशल एवं प्रबंधकीय मानव संसाधन आधार का सृजन करना है।

11. अन्य नीतियां

एसईजेड के लिए राज्य की सभी अन्य नीतियां प्रभावी बनी रहेंगी, जब तक कि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा उनको संशोधित नहीं किया जाता है।

एसईजेड के लिए समीक्षा एवं विकास समिति

राज्य में एसईजेड के संवर्धन, विकास तथा कार्यकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित समिति गठित की जाती है।

मुख्य सचिव	**अध्यक्ष**
उद्योग सचिव	**सदस्य**
वित्त सचिव	**सदस्य**
वाणिज्यिक कर सचिव	**सदस्य**
ऊर्जा सचिव	**सदस्य**
वन एवं पर्यावरण सचिव	**सदस्य**
राजस्व सचिव	**सदस्य**
श्रम सचिव	**सदस्य**
विकास आयुक्त, एसईजेड	**सदस्य**
अध्यक्ष, जेएसईबी	**सदस्य**
निदेशक, उद्योग	**सदस्य सचिव**

12. संशोधन करने की शक्ति

12.1. **एसईजेड नीति के किसी प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी भी समय –**

12.1.1. **इस नीति में संशोधन कर सकती है;**

12.1.2. **कार्यान्वयन को सुगम बनाने, विसंगतियों को दूर करने तथा इस नीति के प्रावधानों की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए अनुदेश एवं दिशानिर्देश जारी कर सकती है।**

राज्यपाल के आदेश द्वारा
हस्ता/-
(विमल कीर्ति सिंह)
सचिव
उद्योग विभाग
झारखंड, रांची

ज्ञापन संख्या 2460 ---------- /रांची, दिनांक 2 अगस्त, 2003

असाधारण राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन के लिए अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, हिनो, रांची को प्रति अग्रेषित।

अनुरोध है कि कृपया इस विभाग को उक्त प्रकाशित राजपत्र की 300 प्रतियां उपलब्ध कराएं।

हस्ता/-
सचिव
उद्योग विभाग
झारखंड, रांची

ज्ञापन संख्या 2460 ---------- /रांची, दिनांक 2 अगस्त, 2003

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी सरकार विभागों / सरकारी विभागों के सभी प्रमुखों / अध्यक्ष, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड, रांची / वाणिज्य कर आयुक्त, झारखंड / सभी प्रभागीय आयुक्त / सभी जिला उद्योग केंद्रों / सभी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों / निदेशक, एसआईएसआई, रांची / संयोजक, एसएलबीसी, रांची, झारखंड के सभी उद्योग संघों को प्रति अग्रेषित।

हस्ता/-
सचिव
उद्योग विभाग
झारखंड, रांची